

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

फोन नं०-05944-240071

ईमेल-cfoudn.ukfs@gmail.com,

दिनांक अप्रैल 02, 2021

पत्रांक: न-3/एफ0एस0/ऑनलाईन/2021

स्वामी/प्रबन्धक
मै0 5TH सैनेटेनेरी स्कूल
किच्छा रोड लालपुर
ऊधम सिंह नगर।

विषय :- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके ऑनलाईन आवेदन यूआईडी नं०-17474573 दिनांक 18-03-2021 के अनुसार मै0 5TH सैनेटेनेरी स्कूल किच्छा रोड लालपुर उधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र रुद्रपुर द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र रुद्रपुर की निरीक्षण आख्या के अनुसार संस्थान में स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।

निर्देशित किया जाता है कि मानक के अनुसार संस्थान में 90 दिवस के भीतर टैरेस टैंक क्षमता 10 हजार लीटर तथा टैरेस पम्प क्षमता 450 लीटर प्रति मिनट, प्रत्येक तल पर होजरील प्रणाली का प्राविधान कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। साथ ही अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इकाई के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः मै0 5TH सैनेटेनेरी स्कूल किच्छा रोड लालपुर उधम सिंह नगर द्वारा निर्देशित समयावधि के भीतर उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाएँ सुनिश्चित किए जाने की स्थिति में ही यह अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 02 अप्रैल 2021 से 01 अप्रैल 2022 तक प्रभावी रहेगा। साथ ही निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा :-

- 1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
- 2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- 4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- 5 संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
- 6 संस्थान में कम्प्यूटर लैब एवं अन्य लैब संचालित किये जाने पर कम्प्यूटर लैब में 02 अदद सीओ2 4.5किग्रा क्षमता अन्य लैब में 01 अदद एबीसी क्षमता 05 किग्रा व 04 अदद सैण्ड बकेट तथा जनरेटर के पास 01 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 05 किग्रा तथा 04 अदद सैण्ड बकेट निर्धारित प्लेटफार्म का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।

वंश कुमार
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
ऊधम सिंह नगर